सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

पत्र कमांक राशिके/वित्त/2011/11243 भोपाल दिनांक 20/12/11

प्रति,

समस्त अध्यक्ष एवं सचिव,
शाला प्रबंधन समिति,
समस्त माध्यमिक/प्राथमिक शाला
समस्त जिले म.प्र.

विषयः—सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य शासन की योजनाओं से जारी राशियों की जानकारी।

जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष आपकी शाला के शाला प्रबंधन समिति के बैंक खातों में सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य सरकार की स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कई मदों की राशियॉ जारी की जाती है। उक्त योजनाओं की मदवार जानकारी निम्नानुसार हैः—

स.क.	गतिविधि/मद का नाम	इकाई राशि	(रूपए में)	राशि जारी करने का स्तर
सर्व शिक्षा अभियान				
1	शाला आकस्मिक निधि	5000	प्रति प्राथमिक शाला प्रतिवर्ष	राज्य स्तर से
		7000	प्रति माध्यमिक शाला प्रतिवर्ष	
2	शिक्षक निधि	500	प्रति वर्ष प्रति शिक्षक	
3	शाला भवन सुधार निधि	5000	प्रति वर्ष (3 कक्षों तक भवन हेतु)	
		10000	प्रति वर्ष (3 कक्षों से अधिक हेतु)	
4	गणवेश की राशि	400	प्रति छात्र प्रति वर्ष	जिला स्तर से
5	मूल्यांकन की राशि		निर्देशानुसार	इस वर्ष राज्य स्तर से
6	विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति एवं मार्ग रक्षक भत्ता		निर्देशानुसार	जिला स्तर से
राज्य योजना				
1	साइकिल की राशि	2300	प्रति बालिका/बालक प्रति वर्ष	जिला स्तर से
2	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि	200	प्रति बालक प्रति वर्ष	जिला स्तर से
		300	प्रति बालिका प्रति वर्ष	

इसके अलावा कुछ सबंधित शालाओं को टी.एल.ई., शौचालय, पेयजल, मरम्मत, रैम्प, हेडस्टार्ट केन्द्र संचालन, पुस्तकालय, शाला पुरूस्कार, ए.बी.एल., ए.एल.एम. आदि स्वीकृत गतिविधियों के संचालन हेतु निर्देशानुसार वर्ष में राशि दी जाती है।

उपरोक्तानुसार राशि सीधे स्कूल प्रबंध समिती के खाते में प्रतिवर्ष जमा करायी जाती है। यदि आपको उपरोक्त मदों की राशियॉ प्राप्त नहीं हो रही हो, तो खाता कमांक एवं बैंक की जानकारी जिला शिक्षा केन्द्र एवं राज्य शिक्षा केन्द्र को शीघ्र भेजें।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पत्र कमांक राशिके/वित्त/2011/11244 भोपाल दिनांक 20/12/11

प्रतिलिपिः—

1. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिलों की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र की प्रति जिले में संचालित प्रत्येक शाला के शाला प्रबंध समिति को उपलब्ध करावें।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र